



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 10.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ क्रूरतापूर्वक वाहन में क्षमता से अधिक बेजुबान पशुओं को लादकर ले जाते समय 06 अभियुक्तों को थाना कालिंजर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।
- ❖ एक ट्रक में 14 भैंसे व 44 पड़वा लेकर सीधी म0प्र0 से आ रहे थे अभियुक्त। चेकिंग के दौरान गिरधरपुर मोड़ से किया गया गिरफ्तार।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी नरैनी प्रवीण कुमार के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 10.07.2026 को सुबह गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना कालिंजर पुलिस द्वारा 06 अभियुक्तों को एक ट्रक में क्रूरतापूर्वक पशुओं को लादकर सीधी (म0प्र0) से आते समय गिरधरपुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी-

- 14 नग भैंसे व 44 नग पड़वा
- 01 ट्रक 10 चक्का (परिवहन में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. समीर खान पुत्र जहीर वर्ष निवासी आजाद नगर थाना हनुमान ताल जनपद जबलपुर (म0प्र0)।
2. कबीर पुत्र गुलाम उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम टक्कर ग्राम जनपद जबलपुर (म0प्र0)।
3. फिरोज खान पुत्र शेख लतीफ निवासी गाजी नगर थाना गोहलपुर जनपद जबलपुर (म0प्र0)।
4. सकील पुत्र मो0 बहीद कुरैशी निवासी ग्राम मण्डी मदार टेकरी थाना हनुमान ताल जनपद जबलपुर (म0प्र0)।
5. जाकिर पुत्र मो0 साबिर निवासी ग्राम गली मदार टेकरी थाना हनुमान ताल जनपद जबलपुर (म0प्र0)।
6. रेहान पुत्र मुईनुद्दीन निवासी ग्राम दरूल उलूम थाना हनुमान ताल जनपद जबलपुर (म0प्र0)।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 90/26 धारा 11(1)(डी) पशु क्रूरता निवारण अधि0 1960 थाना कालिंजर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- थानाध्यक्ष कालिंजर श्री दारा सिंह
- उ0नि0 श्री दिनेश कुमार
- हे0का0 राजमणि यादव
- कां0 विमलेश सरोज